

S.D.H.R.D.
19/10

अजमेर
15-10-2020

राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

869
19.10.20

क्रमांक: एफ. 1(1)शिक्षा/ग्रुप-3/2018

जयपुर, दिनांक:-15.10.2020

आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के नियम-26 के अन्तर्गत गठित रिज्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14.10.2020 की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2016-17 की स्नातकोत्तर प्राचार्य/संयुक्त निदेशक, स्नातक प्राचार्य/उपनिदेशक एवं उप-प्राचार्य स्नातकोत्तर/स्नातक पद की दिनांक 04.07.2016 को सम्पन्न नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंखाओं में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है :-

क्र.सं.	पदोन्नति वर्ष	परिवर्तन
1	2016-17	श्री विनोद कुमार(अजा) पात्रता क्रमांक-22, जन्म तिथि 11.01.1960 का स्नातकोत्तर प्राचार्य/संयुक्त निदेशक के पद पर चयन होगा एवं चयन सूची में श्री विनोद कुमार की वरिष्ठता श्रीमती शशि इन्दुलिया(अजा) के नीचे रहेगी।
2	2016-17	श्री ओम प्रकाश महावर(अजा) पात्रता क्रमांक-23, जन्म तिथि दिनांक 26.06.1959 का स्नातक प्राचार्य/उपनिदेशक के पद पर चयन होगा एवं चयन सूची में श्री ओमप्रकाश महावर की वरिष्ठता श्री महेश चन्द(अजा) के नीचे रहेगी।
3	2016-17	श्री रामजीवन जाटव(अजा) पात्रता क्रमांक-316, जन्म तिथि 10.05.1958 का उप-प्राचार्य स्नातकोत्तर/स्नातक के पद पर चयन होगा एवं चयन सूची में श्री रामजीवन जाटव की वरिष्ठता श्री लेखराज गढ़वाल(अजा) के नीचे रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. मोहम्मद नईम)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित महाविद्यालय/अधिकारी।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1()पीएस/आकाशि/20/484

दिनांक:- 20.10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. संबंधित प्राचार्य/अधिकारी।
6. स्थापना शाखा/कार्मिक शाखा/गोपनीय शाखा/रोकड़ शाखा।
7. रक्षित पत्रावली।

(संयुक्त शासन सचिव)
आयुक्त